


## कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशपानुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-16 में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-III) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिकॉर्ड के विरुद्ध चयन का निर्णय राजस्थान असाैनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1958 के नियम 17ई के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण बन्द लिफाफे में रखा गया था।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश शिविरा -मा/ वि जांच/ सी/ 11420(114)/ 15-16/ 2017/ 39 दि० 06.06.18 द्वारा (भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने की कठोर चेतावनी देते हुए) प्रकरण समाप्त(DROP) किये जाने के कारण इनका बंद लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिकॉर्ड के विरुद्ध पे-मैट्रिक्स के लेवल-16 पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-III) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :-

क्र०स०	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम व वर्ग	जन्म तिथि	वरि०/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	374 वर्ष 09-10	श्री तुलसीराम, (SC) व्याख्याता-राजवि	16-09-1958	2018-19 sch-i/iii Gen	चिरंजी लाल (SC)	08.02.59	373 / 09-10
					अश्वनी कुनार (SC)	26.03.59	375 / 09-10

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प० 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (36/01) के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक की दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद की निर्धारित योग्यता धारित नही करने पर, पदोन्नति के पात्र नही होंगे।




(नथमल डिडेल)

आई.एस.ए.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/डीपीसी/बंद लिफाफा/प्रधानाचार्य/2016-17से18-19/वो-2दिनांक 19-09-18  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. उप निदेशक, माध्यमिक, कोटा ।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/विजांच अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संस्था प्रधान /कार्मिक श्री तुलसीराम, (SC) व्याख्याता-राजवि, राउमावि, चेचट, कोटा
8. प्रभाग प्रभारी -बी-2, कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावती



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर